भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1843**

उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023

**बजट आवंटन में कमी**

**1843. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि अल्पसंख्यकों को कल्याण के साथ-साथ शैक्षिक योजनाओं की सख्त आवश्यकता है, मंत्रालय के लिए बजट आबंटन में कमी की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र केवल निधि की कमी के कारण मानदंडों को पूरा करने के बावजूद छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा पा रहे थे;

(ग) यदि हां, तो क्या बजट आबंटन में कटौती से और अधिक छात्र वंचित हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**

**(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) : सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय आदि के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती है।

2. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

**क. शैक्षणिक सशक्तीकरण योजनाएं**

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(3) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

**ख. रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं**

(4) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

(5) अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) को इक्विटी

**ग. विशेष योजनाएं**

(6) जियो पारसी : भारत में पारसियों की जनसंख्या में हो रही गिरावट को रोकने हेतु योजना

(7) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS) और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY)

(8) प्रचार सहित विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, प्रचार-प्रसार, निगरानी और मूल्यांकन।

**घ. अवसंरचना विकास योजनाएं**

(9) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

2. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं के बजट को निम्नलिखित कारणों से घटा दिया गया है:

(i) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत केन्द्र के हिस्से की धनराशि को जारी करने के लिए नए तंत्र को अपनाना, जिसके लिए राज्य नोडल एजेंसियों (SNA) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) को नियुक्त करना आवश्यक था। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत धनराशि, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए जारी नहीं की जाती है और राज्य नोडल एजेंसी (SNA) के खाते में उपलब्ध राशि सामान्य पूल का कार्य करती है। 01.12.2023 तक, राज्यों के साथ अव्ययित राशि 1515.91 करोड़ रु. है, और राज्यों को, मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पहले SNA खाते से व्यय करना आवश्यक है।

(ii) मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं को शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य और सामाजिक न्याय जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा अपनाए गए पैटर्न के साथ संरेखित किया जाना था। केंद्र सरकार ने बहुत मजबूत तर्क के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत कवरेज को केवल कक्षा IX और X तक सीमित करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले, यह देखा गया कि प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की भागीदारी राष्ट्रीय औसत के बराबर है। साथ ही, इन स्तरों के छात्रों को पहले से ही शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व योजना के तहत कवरेज को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति (OBC) जैसे अन्य लक्षित समूहों के लिए कार्यान्वित समान योजनाओं के साथ मिलान करने की आवश्यकता महसूस की गई।

(iii) मंत्रालय की दो प्रमुख योजनाएं, छात्रवृत्ति योजना और PMJVK योजना मंत्रालय के बजट का लगभग 80% हैं।

(iv) सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से निम्नलिखित योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है:-

(क) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

(ख) पढ़ो परदेश

(ग) नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं (नया सवेरा)

(घ) नई उड़ान योजना - संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता।

(v) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत कौशल योजनाओं (कौशल विकास पहल, उस्ताद, नई मंजिल, हमारी धरोहर और अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना) को पीएम विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) के अंतर्गत मिला दिया गया है।

(ख) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, में से किसी से भी संबंधित छात्रों के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू करती है, वे निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आवेदन करने के पात्र है:-

i. **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना**- यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा IX और X में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की गई हैं। पात्र होने के लिए, विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए और पिछली कक्षा में कम से कम उसने 50% अंक प्राप्त किए हों।

ii. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-** यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में कक्षा XI से पीएचडी स्तर तक पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रदान की जाती है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए निर्धारित की गई हैं। पात्र होने के लिए, विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए और पिछली कक्षा में उनके अंक 50% से कम नहीं होने चाहिए।

iii. **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना-** यह छात्रवृत्ति उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मान्यता-प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना के अधीन, 30% छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए निर्धारित की गई है। योजना में व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए 85 संस्थान सूचीबद्ध हैं जिसके लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। पात्र होने के लिए, विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए और पिछली कक्षा में उनके अंक 50% से कम नहीं होनी चाहिए।

2. तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से किए गए अध्ययन रिपोर्ट और वास्तविक सत्यापन के अनुसार भारी अनियमितताओं के साथ ऐसे मामले पाए गए हैं जहां छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो और योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन और उचित परिश्रम पर ध्यान केंद्रित किया जा सके:

• मंत्रालय ने गहन जांच के लिए मामले को सीबीआई को भेजा और दिनांक 28.08.2023 को सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज की गई।

• इसके बाद, मंत्रालय ने 01.08.2023 से 22.09.2023 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) और आधार पर एक समर्पित उपयोगिता आधारित सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से सभी सत्यापन करने वाले अधिकारियों और सत्यापित आवेदकों के आधार आधारित बायो-प्रमाणीकरण के लिए एक अभियान भी चलाया।

3. छात्रवृत्ति के संवितरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार के पास संबंधित बजट शीर्ष के तहत पर्याप्त धनराशि है।

*****